

03 से 10 जनवरी 2024 तक प्रगती मैदान, नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी के संबंध में परिपत्र

भूमिका

आत्मनिर्भर भारत उत्सव 03 से 10 जनवरी, 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव, भारत में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदमों को प्रदर्शित करने और जश्न मनाने का एक गतिशील मंच है।

- यह एक बी2सी कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण कारीगरों/बुनकरों/सूक्ष्म और लघु उद्योग को सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है, जिसमें उत्तर पूर्व के उद्यम, समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग और विकलांग व्यक्तियों आदि द्वारा संचालित इकाइयाँ शामिल हैं, जो एक बड़ा उपभोक्ता आधार, वितरक और साथी कारीगर से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
- कार्यक्रम के पहले संस्करण में एक जीवंत प्रदर्शन होगा, जो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विकास की भावना पर जोर देगा।

ए. पात्रता

1. 3-10 जनवरी 2024, आत्मनिर्भर भारत उत्सव, में टी बोर्ड के साथ भाग लेने के इच्छुक चाय कंपनियों/आवेदकों को टी बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। उपरोक्त के संबंध में कंपनी/आवेदक की मुहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ वैध लाइसेंस (जैसे आरसीएमसी, क्रेता लाइसेंस या निर्यातक लाइसेंस) की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ जमा की जानी चाहिए।
2. कंपनी/आवेदक को कंपनी/आवेदक की मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा जाएगा कि वह व्यापार और व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी भी जांच/आरोपित/मुकदमा/वर्जित/काली सूची में नहीं है।
3. टी बोर्ड इंडिया के साथ भाग लेने वाली कंपनी/आवेदक को आत्मनिर्भर भारत उत्सव, 3-10, जनवरी 2024 में केवल 100% भारतीय चाय प्रदर्शित/विक्रय/प्रदर्शनी करनी होगी।

बी. आवेदन की प्रक्रिया

1. भागीदारी के लिए इच्छुक चाय कंपनियों/आवेदकों को भागीदारी में अपनी अभिरुचि की सूचना देते हुए टी बोर्ड को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। टी बोर्ड के साथ प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए आवेदन पर नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज और भागीदारी शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।
2. संबंधित मेले/प्रदर्शनी के लिए भागीदारी शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर, 2023 है।
3. इच्छुक चाय कंपनियों को अपनी कंपनी को आवंटित बिल्ट-अप स्पेस की कुल लागत का 40% वहन करना होगा। आवेदकों को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 20,000/- रुपये की भागीदारी शुल्क का भुगतान "टी बोर्ड मार्केट प्रमोशन स्कीम" के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से करनी होगी एवं भुगतान के पश्चात उनके आवेदन पत्र के साथ यूटीआर संख्या जमा करनी होगी। प्रत्येक अलग-अलग मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अतिरिक्त/अव्ययित राशि को कंपनी के वास्तविक लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यदि 9 वर्गमीटर वाली स्टॉल की कुल लागत 20,000 रुपये से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि का भुगतान कंपनी द्वारा टी बोर्ड को करनी होगी।

यह राशि नीचे दिये गए खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा जमा की जाएगी :

Account No: 00260200000807

Account Name: "Tea Board Market Promotion Scheme"

IFSC: BARB0BRABOU

Bank: Bank of Baroda

Branch: Brabourne Road, Kolkata.

सी. जमा किए जाने वाले दस्तावेज :

1. मुहर और हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित आवेदन पत्र;
2. टी बोर्ड टीएमसीओ 2003/खरीदारों के पंजीकरण द्वारा जारी नवीनतम लाइसेंस की स्व-प्रमाणित प्रति
3. टी बोर्ड के साथ कंपनी/आवेदक का पंजीकरण दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां
4. कंपनी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्व-घोषणा, जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि यह कंपनी वाणिज्य एवं व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी भी जांच के अधीन/आरोप के अधीन /अभियोजित/विवर्जित/ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
5. कंपनी के लेटरहेड पर दी गई घोषणा की स्कैन कॉपी
6. सरकार या किसी अन्य संगठन के किसी अन्य योजना से विशेष कार्यक्रम के लिए लाभ नहीं लेने की घोषणा की स्कैन की गई प्रति
7. कंपनी/आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्व-घोषणा, कि कंपनी/आवेदक टी बोर्ड इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टॉल से 100 प्रतिशत केवल भारतीय चाय प्रदर्शित करेगा और बेचेगा।
8. गैर-प्रतिभागियों के भागीदारी शुल्क और आवेदन शुल्क त्याग देने के संबंध में आवेदक द्वारा दी जाने वाली घोषणा की हस्ताक्षरित प्रति पहले भागीदारी से बाहर हो जाते हैं।
9. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित स्टॉप पेपर पर घोषणा करते हुए स्व-घोषणा कि आवेदक सुसज्जित बूथ के लिए शुल्क की अंतिम गणना के बाद भागीदारी के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है। यदि चाय कंपनी उस अतिरिक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहती है, तो टी बोर्ड उस विशेष कंपनी के पंजीकरण/लाइसेंस/पहचान को रद्द/निलंबित करने और कंपनी को काली सूची में डालने के लिए स्वतंत्र है।
10. लघु चाय उत्पादकों (एसटीजी) के मामले में एसटीजी स्मार्ट कार्ड की प्रति
11. एससी/एसटी एसटीजी के मामले में प्रमाण के रूप में एससी/एसटी प्रमाण पत्र ।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों में कंपनी/आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ कंपनी/आवेदक की मुहर होनी चाहिए।

डी. शर्तें व निबंधन

1. टी बोर्ड के साथ 3-10 जनवरी आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में भाग लेने के लिए, प्रत्येक भाग लेने वाली कंपनी/आवेदक को यथासंभव न्यूनतम विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाना है।
2. बोर्ड के स्टॉलों पर केवल भारतीय चाय ही प्रदर्शित की जा सकती है। गैर-चाय उत्पाद (अर्थात कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त नहीं होने वाले उत्पाद) या अन्य पेय पदार्थों के साथ-साथ भारत के अलावा अन्य मूल चाय को स्टॉलों पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा।
3. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके प्रदर्शन को सौंदर्यपूर्ण तरीके से रखा गया है और उनके आवंटित स्थान को प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान ठीक से व्यवस्थित किया गया है।
4. जिन चाय कंपनियों के पास प्रदर्शित करने के लिए उत्पादों और नमूनों की एक बड़ी श्रृंखला

है, जिन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता है, उन्हें वास्तविक लागत पर अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जा सकता है यदि चाय बोर्ड का बजट अनुमति देता है और यदि अन्य प्रतिभागियों को समायोजित करने के बाद चाय बोर्ड के बूथ के साथ अतिरिक्त स्थान प्राप्त करना संभव है, बशर्ते वे अपनी आवश्यकता को पहले से ही बता दें। पैकेज्ड उत्पादों के पर्याप्त और विविध प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ी हुई जगह का उचित उपयोग किया जाना चाहिए।

5. समूह कंपनियों के लिए केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।
6. टी बोर्ड द्वारा आवश्यक स्थान उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण कंपनी/आवेदक द्वारा एक अलग स्टॉल से भाग लेने के विकल्प के मामले में, टी बोर्ड लागत वहन नहीं करेगा या स्टॉल स्थान की प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं करेगा।
7. किसी विशेष आयोजन/मेले/प्रदर्शनी में उपलब्ध स्थान से अधिक संख्या में आवेदन करने वाले आवेदकों की स्थिति में महत्व के अवरोही क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों को वरीयता दी जाएगी:

(1) मूल्य वर्धित/जैविक चाय/विशेष चाय में काम करने वाली कंपनियां/आवेदक

(2) एमएसएमई

(3) लघु चाय उत्पादक/एसएचजी एवं लघु उत्पादकों का एफपीसी

(4) अनु.जा एवं अनु.जनजा लघु उत्पादक

किसी विशेष श्रेणी में प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, उस विशेष श्रेणी के लिए आवेदक का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

एसटीजी को रुपये 1180/- को छोड़कर स्टाल के लिए प्रत्येक भागीदारी शुल्क के रूप में किसी भी शुल्क से छूट दी जाएगी। एक स्टॉल से 2/3 एसटीजी भाग ले सकते हैं। 2 से अधिक एसटीजी प्रतिभागियों के होने की स्थिति में, चयन लॉट के माध्यम से किया जाएगा। एससी और एसटी छोटे उत्पादकों के प्रतिभागियों के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं होगा। तथापि, सभी मामलों में, चाय बोर्ड अनुमोदित प्रतिशत हिस्से के अनुसार स्टॉल के लिए केवल किराया प्रभार वहन करेगा। कोई अन्य शुल्क जैसे, यात्रा, आवास, नमूना उपकरण, रसद, अतिरिक्त साज-सज्जा और अन्य आकस्मिक शुल्क आदि चाय बोर्ड द्वारा वहन नहीं किए जाएंगे।

8. यदि आवेदक भागीदारी से पीछे हट जाते हैं तो उनकी भागीदारी फीस जब्त कर ली जाएगी।
9. टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान प्रदान करेगा। अन्य सभी आवश्यकताएँ जैसे यात्रा, आवास, सैपलिंग उपकरण, लॉजिस्टिक्स, अतिरिक्त साज-सज्जा और अन्य आकस्मिक शुल्कों की व्यवस्था और वहन कंपनी/आवेदक को करना होगा।
10. यदि आवेदक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है और यदि कोई प्रासंगिक जानकारी छिपी हुई पाई जाती है, तो टी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सहायता की राशि को ब्याज दरों @ रेपो दर + 5% के साथ वापस करना होगा।

11. विवाद के सभी मामलों में, सलाहकार समिति, टी बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

इ. विवादों का समाधान

किसी भी आवेदन से उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में, उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एफ. आवेदन जमा

1. सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन उपनिदेशक, टी बोर्ड, 14 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता-700001 को जमा करें।
2. दावों की वैधता के बारे में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के संतुष्ट होने के बाद, ई-भुगतान तंत्र के माध्यम से धन जारी किया जाएगा अर्थात् आरटीजीएस/एनईएफटी/पीएफएमएस। उप-घटक के प्रशासनिक और निरीक्षक व्यय को आवंटित निधि से पूरा किया जाएगा।

जी. उप-घटक में संशोधन

टी बोर्ड अपने विवेक से, योजना के कुशल और प्रभावी निष्पादन और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे जाने के बिना उप-घटक के किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन, विस्तार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एन.बी.

ऐसे व्यक्तियों के आवेदन जो स्वीकृति प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, पुरस्कार, उपहार या कोई भौतिक लाभ, या कोई जबरदस्ती करने का सहारा लेते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

3-10 जनवरी 2024, आत्मनिर्भर भारत उत्सव, प्रगति मैदान,नई दिल्ली में भाग लेने के लिए आवेदन

क्रम. सं	विषय	विवरण
1	फर्म/कंपनी/आवेदक/संगठन का नाम	
2	पूर्ण संचार निर्देशांक (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पंजीकृत कार्यालय का पता)	
3	आयोजन में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम	
4	समूह कंपनी/आवेदक का नाम	
5	चाय बोर्ड के साथ पंजीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों का नाम और संख्या	
6.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी/आवेदक का वार्षिक कारोबार (पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए अलग से उल्लेख करें) वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3	
7	भागीदारी के लिए मेले/प्रदर्शनी/बीएसएम का विवरण नाम: शहर: राज्य: आयोजन की अवधि..... सेतक	
8.	क्रमांक 7 पर संदर्भ के अंतर्गत आयोजन के लिए क्या अन्य सरकार निकाय/ईपीसी/कमोडिटी बोर्ड/एपीडा/एमपीईडीए/आईटीपीओ आदि से सहायता प्राप्त की गई है?	

घोषणा

मैं/हम सत्यनिष्ठा से वचन देते/घोषणा करते हैं कि ऊपर वर्णित विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

कोई भी जानकारी, यदि गलत, या भ्रामक पाई जाती है, तो हम चाय बोर्ड के साथ आगामी कार्यक्रमों में हमारी भागीदारी को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होंगे, इस संबंध में हमारे खिलाफ की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

यदि जांच के परिणामस्वरूप मुझे/हमें कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया पाया जाता है, तो इसे मेरी/हमारी फर्म द्वारा किए जाने वाले किसी भी बाद के दावों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है या यदि बाद में कोई दावा पाइपलाइन में नहीं है, अधिक भुगतान की गई राशि मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की सीमा तक वापस कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर_____

नाम (मोटे अक्षरों में) _____

पद_____

आवेदक का नाम _____ फर्म _____

कार्यालय सील_____

स्थान:

दिनांक: